रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2012/आषाढ़ 27, 1934

No. 367] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2012/ASADHA 27, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 576(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 13 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 32 और उक्त अधिनियम की धारा 18, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के उपबंधों से संबंधित निदेशक, द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के नियंत्रकों को, उक्त राज्य सरकार की सहमति से, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करती है कि अधिनियम और नियमों के उक्त उपबंधों के अधीन दर्ज किए गए शमनीय, अभियोजित और सिद्धदोष मामलों की संख्या को दर्शाते हुए की गई कार्रवाई की तिमाही रिपोर्ट, निदेशक को भेजी जाएगी ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(16)/2011]

मनोज परिड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2012

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 13 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government, with the consent of the State Government, hereby delegates all the powers exercisable by the Director in relation to inter-State trade and commerce relating to the provisions of Sections 18, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 and 36 of the said Act and under rule 32 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 to the Controller in the States of Andhra Pradesh, Assam, Goa, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh subject to the condition that a quarterly report of the action taken under the said provisions including the number of cases booked, compounded, prosecuted and convicted shall be sent to the Director.

[F. No. WM-9(16)/2011]

MANOJ PARIDA, Jt. Secy.

2628 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.